

LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

LIST OF BUSINESS

Monday, 04 August 2025 / 13 Shravan 1947 (*Saka*)

02.00 PM

NATIONAL SONG-*VANDE MATARAM*

1. **Obituary Reference.**
2. **Special Mention (Rule-280) :**
The Members to raise matters under Rule-280 with the permission of the Chair.
3. **Papers to be laid on the Table:**
 - I. **Smt. Rekha Gupta, Hon'ble Chief Minister** to lay copies of the following on the Table of the House :-
 - i. Finance Accounts and Appropriation Accounts of the Government of NCT of Delhi for the year 2023-2024 (Hindi & English Version).
 - ii. Report of the Comptroller and Auditor General of India on '*State Finances for the year 2023-24*' relating to the Government of NCT of Delhi for the year ended 31 March 2024 (Report No. 1 of 2025) (Hindi & English Version).
 - iii. Report of the Comptroller and Auditor General of India on '*Welfare of Building and other Construction Workers*' for the year ended 31 March 2023 relating to the Government of NCT of Delhi (Report No. 2 of 2025) (Hindi & English Version).
 - II. **Shri Ashish Sood, Hon'ble Minister of Power** to lay copies of the following on the Table of the House :-
 - i. Notification No. F. 17(17)/Engg./DERC/2023-24/C.F.No.8020/1568 dated 12/11/2024 regarding Delhi Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Green Energy Open Access) Regulations, 2024 (Hindi and English Version).
 - ii. Annual Accounts Report of Delhi Electricity Regulatory Commission (DERC) for the year 2023-24 (Hindi & English Version).
4. **Presentation of Reports :**
 - I. **Shri Mohan Singh Bisht, Hon'ble Deputy Speaker**
Shri Abhay Verma, Hon'ble Chief Whip
to present the **Second Report of Business Advisory Committee.**
 - II. **Shri Mohan Singh Bisht, Hon'ble Deputy Speaker**
Shri Ashok Goel
to present the **First Report of Rules Committee.**
5. **Introduction of Bill :**
Shri Ashish Sood, Hon'ble Minister of Education to introduce '*The Delhi School Education (Transparency in Fixation and Regulation of Fees) Bill, 2025 (Bill No. 03 of 2025)*' with the leave of the House.

Delhi
02 August 2025

Ranjeet Singh
Secretary

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
कार्यसूची
सोमवार, 04 अगस्त, 2025/श्रावण 13, 1947 (शक)
02.00 बजे अपराह्न
राष्ट्रीय गीत—वंदे मातरम्

1. निधन संबंधी उल्लेख
2. विशेष उल्लेख (नियम-280) :
सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नियम-280 के अंतर्गत मामले उठाये जायेंगे।
3. सदन पटल पर प्रस्तुत किये जाने वाले कागजात :
I. श्रीमती रेखा गुप्ता, माननीय मुख्यमंत्री निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगी :—
क) वर्ष 2023-24 के लिए राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार के वित्तीय लेखे एवं विनियोग लेखे (हिंदी एवं अंग्रेजी प्रति)।
ख) 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित 'वर्ष 2023-24 के राज्य वित्त' पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या-01) (हिंदी एवं अंग्रेजी प्रति)।
ग) 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित 'भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों के कल्याण' पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या-02) (हिंदी एवं अंग्रेजी प्रति)
II. श्री आशीष सूद, माननीय ऊर्जा मंत्री निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे:—
क) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस के लिए नियम एवं शर्तें) विनियम, 2024 के संबंध में अधिसूचना संख्या एफ. 17(17) इंजी./डीईआरसी/2023-24/सी.एफ.नं. 8020/1568 दिनांक 12/11/2024 (हिंदी एवं अंग्रेजी संस्करण)।
ख) दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) का वर्ष 2023-24 हेतु वार्षिक लेखा प्रतिवेदन (हिंदी एवं अंग्रेजी प्रति)।
4. प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण :
I. श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष
श्री अभय वर्मा, माननीय मुख्य सचेतक
कार्य मंत्रणा समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
II. श्री मोहन सिंह बिष्ट, माननीय उपाध्यक्ष
श्री अशोक गोयल
नियम समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे।
5. विधेयक का पुरःस्थापन :
श्री आशीष सूद, माननीय शिक्षा मंत्री सदन की अनुमति से “दिल्ली विद्यालय शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) विधेयक, 2025” (वर्ष 2025 का विधेयक संख्या-03) को पुरःस्थापित करेंगे।

दिल्ली
02 अगस्त, 2025

रंजीत सिंह
सचिव